

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3819
उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

सरकारी स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता

†3819. श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास देश भर में ऐसे सरकारी स्कूलों की संख्या के बारे में कोई आंकड़ा है, जिनमें तनाव, चिंता और आत्महत्याओं में खतरनाक वृद्धि को दूर करने के लिए योग्य मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने देश भर के सभी विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) छात्र कल्याण में सुधार लाने के लिए उनकी भर्ती और प्रभावशीलता की निगरानी के लिए क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं; और
- (घ) क्या सरकार के पास प्रत्येक सरकारी स्कूल को ऐसी सहायक सेवाओं से सुसज्जित करने के लिए बजटीय आवंटन और समय-सीमा निर्धारित करने की कोई योजना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं। तथापि, शिक्षा के महत्व को पहचानते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 अस्तित्व में आई है, जो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने, तनाव को कम करने और आनंदमय अधिगम को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन और संवर्द्धन हेतु मौजूदा सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ बनाने और साथ ही कैरियर मार्गदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मरक्षा आदि जैसी अन्य गतिविधियों के लिए उनके प्रस्तावों के आधार पर समग्र शिक्षा के तहत सहायता प्रदान की जाती है। यद्यपि राज्यों को काउंसलर रखना अनिवार्य नहीं है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और निजी स्कूलों सहित सभी स्कूल प्रबंधन को आवश्यकतानुसार यह सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र भर्ती के लिए अपने स्वयं के दिशानिर्देश बनाने और समग्र शिक्षा निधि या अपने स्वयं की निधियों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 बच्चों के पोषण और उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में समग्र दृष्टिकोण रखती है जो इष्टतम अधिगम हेतु अपेक्षित है। एनईपी इसे प्राप्त करने के लिए कई तरह के तरीके सुझाती है। बच्चों के पोषण के लिए, पीएम पोषण योजना लागू की जा रही है, जिसके तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बालवाटिका और कक्षा I से VIII तक पढ़ने वाले छात्रों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत 10.36 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 11.20 करोड़ छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लगभग 10.83 करोड़ छात्रों की स्वास्थ्य जांच की गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान एनीमिया मुक्त भारत के अंतर्गत लगभग 10.11 करोड़ छात्रों को आयरन और फोलिक एसिड (आईएफए) की खुराक दी गई और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) के तहत लगभग 10.69 करोड़ छात्रों को कृमि मुक्ति की दवाइयाँ दी गईं। आईएफए और कृमि मुक्ति टैबलेट बेहतर स्वास्थ्य और अच्छे शिक्षण परिणाम सुनिश्चित करने में मदद करती हैं।

एनईपी 2020 के परिप्रेक्ष्य के अनुसार, एनसीईआरटी ने फाउंडेशनल स्टेज के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) 2022 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) 2023 विकसित और शुरू की है। दोनों एनसीएफ विभिन्न पहलुओं जैसे पाठ्यक्रम विकास, अधिगम और पढ़ाने की सामग्री में विषय-वस्तु का विकास, शैक्षणिक अभ्यास आदि में छात्रों के मानसिक कल्याण को एकीकृत करते हैं। इस रूपरेखा में सभी हितधारकों, शिक्षकों, स्कूल पदाधिकारियों, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों की भूमिका पर भी बल दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक छात्र को मानसिक और भावनात्मक सहायता प्रदान की जाए। यह रूपरेखा छात्रों के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक-भावनात्मक उत्तेजना के महत्व पर भी बल देती है तथा पाठ्यक्रम लक्ष्यों, मुख्य दक्षताओं और अधिगम परिणामों में सामाजिक-भावनात्मक विकास के आयु-उपयुक्त पहलुओं के एकीकरण के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है।

मानसिक स्वास्थ्य और सेहत हेतु सरकार ने दिनांक 21 जुलाई, 2020 को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत मनोदर्पण नामक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य देश भर के छात्रों, उनके परिवारों और शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य और भलाई सुनिश्चित करते हुए उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और अन्य मनोसामाजिक मुद्दों पर सहायता चाहने वाले देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय टोल-फ्री टेली-हेल्पलाइन (844-844-0632) है। इस हेल्पलाइन पर दी जाने वाली सेवाएँ निःशुल्क हैं। मनोदर्पण छात्रों के लिए संसाधन के रूप में (<https://manodarpan.education.gov.in>) पर स्कूल और कॉलेज/विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर काम करने वाले परामर्शदाताओं की निर्देशिका भी प्रदान करता है। वर्तमान में टेली-हेल्पलाइन में 64 परामर्शदाता काम कर रहे हैं। इसके अलावा, पीएम ईविद्या चैनलों पर छात्रों के लिए 'सहयोग' नामक लाइव इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिसमें अभ्यास करने वाले परामर्शदाता होते हैं और ये सत्र अलग-अलग क्षेत्रों में सोमवार से शुक्रवार (शाम 05:00 बजे से शाम 05:30 बजे तक) आयोजित किए जाते हैं। इन सत्रों को पीएम ईविद्या चैनलों और 'एनसीईआरटी आधिकारिक' यूट्यूब चैनलों (<https://www.youtube.com/@>

[NCERTOFFICIAL/streams](https://ncertofficialstreams.com)) पर देखा जा सकता है। अब तक आयोजित कुल 'सहयोग' सत्र 1027 हैं। 'परिचर्चा' नामक 206 लाइव इंटरैक्टिव वेबिनार प्रत्येक शुक्रवार (दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक) आयोजित किए जाते हैं। ये सत्र छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण से जुड़ी विभिन्न चिंताओं का समाधान करते हैं। स्कूल प्रशासकों और शिक्षकों के लिए कई सम्मेलन, अभिविन्यास और सत्र आयोजित किए गए हैं ताकि उन्हें छात्रों में तनाव और चिंता पैदा करने वाले कारकों, जिनमें परीक्षाएं, अकादमिक, परिणाम और अन्य भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं, के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके और उन्हें उन्मुख किया जा सके तथा इन परिस्थितियों को प्रबंधित करने में उन्हें समर्थ एवं सक्षम बनाया जा सके।

मनोदर्पण ने प्रत्येक वर्ष स्कूलों में बदमाशी, आत्म-जागरूकता, मुकाबला करने के कौशल और सकारात्मक भावनाओं और एक डेस्क कैलेंडर आदि जैसे फ्लायर्स के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पक्षसमर्थन करने के लिए विभिन्न सामग्रियों का विकास और प्रसार किया है। स्कूलों में हितधारकों की जागरूकता कार्यक्रम और क्षमता निर्माण इस पहल के अंतर्गत नियमित गतिविधियों में से कुछ हैं। मनोदर्पण वर्ष 2020 से प्रत्येक वर्ष पूरे देश में स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य दिवस और मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाने की सुविधा प्रदान करता है। इस उत्सव में स्कूलों में विभिन्न गतिविधियाँ जैसे समूह चर्चा, कहानी सुनाना, बाहरी गतिविधियाँ, विश्राम गतिविधियाँ, व्यक्तिगत कल्याण योजना का निर्माण, आभार नोट साझा करना, सकारात्मकता बोर्ड का निर्माण, इंटरैक्टिव जागरूकता सत्र, मानसिक स्वास्थ्य पर सभा आदि शामिल हैं।

स्कूल प्रशासकों, स्कूलों के प्रमुखों, शिक्षकों, शिक्षक परामर्शदाताओं आदि जैसे हितधारकों के साथ कई क्षमता निर्माण/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसे कुछ कार्यक्रमों में क्षेत्रीय स्तर पर परामर्श बैठकें, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े विभिन्न सरोकारों जैसे कि आत्म-क्षति, मादक द्रव्यों का सेवन, बदमाशी आदि से निपटा जाता है, जिनका युवाओं में तनाव, चिंता और अवसाद की भावनाओं से सीधा संबंध है। इन क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षकों के बीच जागरूकता और कौशल का निर्माण करना है ताकि युवाओं को इन सरोकारों से निपटने में मदद मिल सके।

माननीय प्रधानमंत्री ने एक अनूठे इंटरैक्टिव कार्यक्रम - परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) की संकल्पना की, जिसमें देश भर से और विदेशों से भी छात्र, अभिभावक, शिक्षक उनके साथ बातचीत करते हैं और परीक्षाओं से उपजे तनाव पर काबू पाते हुए जीवन को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। पीपीसी कार्यक्रम 2025 में, राज्य और केंद्र सरकार के साथ सभी स्तरों पर समन्वय करके आउटरीच प्रयासों के संयोजन के माध्यम से विविध सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की गई है। शारीरिक और भावनात्मक कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों के माध्यम से परीक्षा तनाव में कमी जैसी पीपीसी से संबंधित व्यापक गतिविधियाँ दिनांक 13 जनवरी से 23 जनवरी, 2025 तक 10 दिनों की अवधि में पूरे भारत में आयोजित की गईं। दिनांक 23 जनवरी, 2025 को, नेताजी सुभाष

चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर, देश भर के लगभग सभी जिलों में छात्रों को कई स्वतंत्रता सेनानियों पर एक प्रेरक और प्रेरणादायक श्रृंखला 'भारत हैं हम' दिखाई गई और उसी पर प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई। इन सभी गतिविधियों के परिणामस्वरूप पीपीसी 2025 के 8वें संस्करण में कुल 5 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण सहित इससे संबंधित मुद्दे हाल ही में आयोजित पीपीसी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कवर किए गए प्रमुख विषयों में से एक थे, जिसे पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया था। यह कहा जा सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री के सत्र के अलावा, पीपीसी में बाद में हुए 7 अन्य एपिसोड में से दो में विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य और उनसे उबरने पर दो अलग-अलग सत्र आयोजित किए गए थे।

कई स्कूलों द्वारा छात्रों में बढ़ते तनाव, चिंता आदि को दूर करने के लिए विविध कार्यक्रम जैसे सुबह की सभा में बातचीत के जरिए संवेदनशीलता बढ़ाना, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम, योग, खेलकूद, स्काउट और गाइड, एनसीसी, एक भारत श्रेष्ठ भारत आयोजित किए जाते हैं। छात्रों को स्कूल में स्कूल पोषण उद्यान (एसएनजी) स्थापित करने में भी शामिल किया जाता है, जिसके जरिए वे प्रकृति से जुड़ते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट्स (टेली मानस) नामक एक टोल-फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन शुरू की है, जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सहायता और सहयोग प्रदान करती है। इस पहल के माध्यम से, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए हेल्पलाइन नंबर (14416) या 1800-891-4416 पर पूरे देश में 24x7 प्रशिक्षित और प्रत्यायित मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं तक पहुँच उपलब्ध है। यह सेवा 20 भाषाओं में उपलब्ध है। अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (टेली-मानस) 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में टेली-परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है, जो लगभग 20 लाख कॉल संभालता है। सरकार प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में डिजिटल अकादमियों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को भी प्रशिक्षित कर रही है, जिसमें 42,000 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का भी समाधान कर रहा है, जिसका जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) 767 जिलों में सक्रिय है। डीएमएचपी जिला स्तर पर आउटपैशेंट देखभाल, परामर्श, दवा, आउटरीच और इनपैशेंट सुविधाओं जैसी सेवाएँ प्रदान करता है, ताकि स्कूलों और कॉलेजों में आत्महत्या रोकथाम सेवाएँ, कार्यस्थल तनाव प्रबंधन, जीवन कौशल प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 1.75 लाख से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अपग्रेड किया है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिक देखभाल में एकीकृत किया गया है। आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम के तहत, शिक्षकों को छात्रों के बीच भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
